

## मूल चल/अचल संपत्ति के कागज-पतरी ल लहुटाए के प्रक्रिया

### 1. पृष्ठभूमि अउ उद्देश्य:

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) हर 13 सितंबर, 2023 के अपन परिपत्र संख्या RBI/2023-24/60 के जरिया NBFC के बोर्ड ल मूल चल/अचल संपत्ति के कागज-पतरी ल लहुटाए बर उचित आंतरिक सिद्धांत अउ प्रक्रिया तय करे के सलाह दे रहिस।

#### **ए परिपत्र के अनुक्रम म, RBI हर सबो NBFC ल निम्नलिखित निर्देश जारी करे हे:**

एकेडन उधारकरता या संयुक्त उधारकरतामन के मृत्यु के आकस्मिक घटना ले निपटे बर, NBFC के पास मालिकमन/कानूनी उत्तराधिकारीमन ल मूल चल/अचल संपत्ति के कागज-पतरी ल लहुटाए बर एकठन सुव्यवस्थित प्रक्रिया होहि। अइसन प्रक्रिया ल ग्राहिक सूचना बर दूसर समान नीति अउ प्रक्रिया के संग NBFC के वेबसाइट म दिखाए जाहि।

उल्लिखित RBI विनियम के जरूरत के अनुपालन म, Oxyzo Financial Services Limited हर ए प्रक्रिया ल अपनाए हे। ए प्रक्रिया ल हमेसा RBI के दिसा-निर्देश, निर्देश, परिपत्र अउ अनुदेश के संग म पढ़े जाना चाहि।

### 2. मालिक ल संपत्ति के कागज-पतरी लहुटाना

- ऋन स्वीकृति के बेरा उधारकरता दुआरा दिए गे संपत्ति के मूल कागज-पतरी, ऋन खाता के पूरा चुकौती/बंद होए के 30 कार्य दिवसों के भीतरी उधारकरता ल सौंप दिए जाहि।
- संपत्ति के मूल कागज-पतरी ल Oxyzo के मुख्यालय, 101, First Floor, Vipul Agora Mall, MG Road, Gurugram - 122001 म दुबारा प्राप्ति बर उपलब्ध कराए जाहि।
- संपत्ति के मालिक के मृत्यु के दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति म, अइसन कागज-पतरी ल कानूनी उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारीमन ल सौंपे जा सकत हे।

### 3. कानूनी उत्तराधिकारी

कानूनी उत्तराधिकारी के मतलब हे कि कोनो भी मनखे, पुरुस या महिला, जेन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत कोनो निर्वसीयत (कोनो मनखे ल वो संपत्ति के संबंध म निर्वसीयत माने जाथे, जेखर बर ओ हर वसीयतनामा तैयार नइ करे हे, जेन प्रभावी हो सके) हर संपत्ति के उत्तराधिकारी हे। नामिती के उलट, ए हर वो मनखे हे, जेखर तिरन हस्ताक्षरित कानूनी वसीयत के तहत मृतक/अधिग्रहित मनखे के संपत्ति उपर अधिकार अउ हकदारी हे।

### 4. दावेदार (कानूनी उत्तराधिकारी/लाभार्थी) दुआरा अपेक्षित कागज-पतरी के प्रकार:

- बंधककर्ता के मृत्यु प्रमाण पत्र।
- कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र अउ कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र।
- मृतक मनखे के दूसर कानूनी उत्तराधिकारीमन ले अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्राधिकरण पत्र।

- कागज-पतरी हासिल करत बेरा कानूनी उत्तराधिकारी दुआरा हस्ताक्छरित घोषणा।
- सबो दावेदारमन के पहचान पत्र
- सबो दावेदार के पता के प्रमान
- सक्छम न्यायालय दुआरा दे गे प्रोबेट। (जिहां संपत्ति वसीयत के जरिया ले हस्तांतरित होवत हे)

**5. कानूनी उत्तराधिकारी/लाभार्थी ल ऋनदाता के गिरवी रखे गे संपत्ति ले संबंधित कागज-पतरी हासिल करे बर जरूरी कागज-पतरी आगु विभाजन:**

- **मृत्यु प्रमान पत्र:** मृत्यु प्रमान पत्र एकठन अइसन आधिकारिक कानूनी कागज-पतरी हे जेला वो स्थान के रजिस्ट्रार/खंड विकास अधिकारी/पंचायत अधिकारी अउ ग्राम सेवक (खाली ग्रामीन इलाका बर) दुआरा उंखर मुहर के संग विधिवत हस्ताक्छरित जारी करे गे हे।
- **कानूनी उत्तराधिकारी प्रमानपत्र:** कानूनी उत्तराधिकारी प्रमान पत्र जिला के तहसीलदार/सक्छम प्राधिकारी दुआरा उन लोगन बर जारी करे गे कागज-पतरी हे जिंखर माता-पिता/पति/पत्नी बिना वसीयत छोड़े मर गे हैं। धन अउ संपत्ति के दावा करे बर मृत मनखे अउ कानूनी उत्तराधिकारी के बीच म रिस्ता स्थापित करे बर ए हर जरूरी हे।
- **कानूनी उत्तराधिकार प्रमानपत्र:** ए हर सक्छम न्यायालय दुआ जारी करे गे एकठन प्रमानपत्र/आदेस हे, जेमा मृत मनके के कानूनी उत्तराधिकारीमन के नाव अउ मृतक के संपत्ति म उंखर हिस्सा घोसित करे जाथे। उत्तराधिकार प्रमानपत्र, एकठन कागज-पतरी हे जेन कागज-पतरी म नामित मनखे ल मृत मनखे के देय "ऋन अउ प्रतिभूति" (मतलब क्रेडिट सेस अउ हस्तांतरनीय प्रतिभूति) ल हासिल करे के अधिकार देथे।
- **सपथपत्र:** सपथ पत्र, जेमा ए कहे गे हो के उनमन मृतक के एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी हैं अउ अंतरराज्यीय उत्तराधिकार के आधार म मृतक के संपत्ति के उत्तराधिकारी बने के हकदार हैं।
- **सपथ पत्र/ NOC के संग प्राधिकरण पत्र:** जब एक ले जादा कानूनी उत्तराधिकारी हैं त सपथ पत्र/ NOC के संग प्राधिकरण पत्र के जरूरत होथे, जेमा सबो कानूनी उत्तराधिकारीमन दुआरा संबंधित मनखे के पक्छ म हस्ताक्छर होना चाहि, जेन उक्त ऋन खाते के संबंध म LOD म सूचीबद्ध सबो कागज-पतरी जमा करथे। अउ NOC/सपथपत्र राजपत्रित अधिकारी दुआरा नोटरीकृत होना चाहि।
- **प्रोबेट:** 'प्रोबेट' वसीयत के अइसन प्रति हे जेन सक्छम न्यायालय के मुहर के तहत प्रमानित होथे अउ जेमा वसीयतकरता के सम्पदा ल प्रसासन के अनुदान दिए जाथे।
- **कानूनी प्रतिनिधित्व:** ए हर एकठन न्यायालय आदेस होथे, जइसे के प्रमानित वसीयत, प्रसासन पत्र या उत्तराधिकार प्रमान पत्र, जेन हर कोनो मनखे/मनखेमन ल मृतक ल देय रासि वसूले के अधिकार देथे।
- **प्रमानित वसीयत:** ए हर वसीयत के एकठन प्रति हे जेन हर सक्छम न्यायालय के मुहर के तहत प्रमानित होथे, ए हर पुष्टि करथे के वसीयत विधिवत निष्पादित करे गे हे अउ ओमा कार्रवाई करे के सक्ति हे। ए हर एकठन कानूनी प्रक्रिया/अदालत के आदेस हे जेन सबो दावा के समाधान करके अउ एकठन वैध वसीयत के तहत मृत

मनखे के संपत्ति ल बांट के ओखर संपत्ति के प्रबंधन करथे। बैंक ल प्रोबेट/अदालत के आदेस के मुताबकि काम करे बर पड़ही।

- **प्रसासन पत्र:** जिहां कोनो वसीयत नइ हे या जब कोनो मनखे बिना कोनो निस्पादक बनाए वसीयत छोड़के मर जाथे या अगर वसीयत दुआरा नियुक्त निस्पादक कानूनी रूप से अक्छम हे या कार्य करे ले इनकार कर देथे या जेखर मृत्यु वसीयतकरता ले आगु या ओखर दुआरा वसीयत ल साबित करे ले पहिली जाथे, त प्रसासक ल सक्छम न्यायालय दुआरा नियुक्त करे जा सकत हे, जेन निस्पादक ले अलग हे, जेला कोनो मनखे अपन वसीयत या कोडिसिल दुआरा नियुक्त कर सकत हे।

## 6. OXYZO दुआरा संपत्ति के कागज-पतरी ल जारी करे बर पूर्व-आवश्यकता

- दावेदार हर कानूनी उत्तराधिकारी या वास्तविक दावेदार साबित हो।
- Oxyzo दुआरा नो ड्यूज प्रमान पत्र जारी करे जाथे।
- जिहां भी जरूरी हो, पोर्टल म सुल्क के भुगतान करे जाथे।
- अगर बंधक पंजीकृत हे त बंधक विलेख ल रद्द करना।
- कानून के मुताबिक अयोग्य नइ ठहराए गो।

## 7. कइ प्रकार के अयोग्यता अइसन हैं

### हत्या के कारन अयोग्यता

अधिनियम के धारा 25 कोनो हत्यारे ल वो मनखे के संपत्ति के उत्तराधिकार पाए ले अयोग्य घोसित करथे जेखर ओ हर हत्या करे हे। ओला अस्तित्वहीन माने जाथे अउ ओला वंस के हिस्सा नइ माने जाए (निरभय सिंह बनाम वितीय आयुक्त, राजस्व, पंजाब अउ दूसर, 2017)। ए धारा के अंतर्गत हत्यारे म ओ मनखे घलोक सामिल हे जेन अइसन अपराध म सहायता करथे या ओला बढ़ावा देथे।

### धरमातरन के कारन अयोग्यता

अधिनियम के धारा 26 ओ मनखे या ओखर धर्म परिवर्तन के बाद पैदा होए लइकामन ल अयोग्य घोसित कथे, जेन हिंदू धरम ले कोनो दूसर धरम म धरमांतरित होथे। एकमात्र सरत जेखर तहत ओखर वंसज उत्तराधिकार पाए के पात्र होहि, ओ ए हे के उत्तराधिकार के बखत ओ हिंदू होना चाहि। धारा 27 म अयोग्यता के प्रभाव के बारे म आगु बताए गो अउ उल्लेख करे गो हे के कोनो भी अयोग्यता के स्थिति म, संपत्ति ल विरासत म ए मानकर दे जाहि के अयोग्य मनखे के मृत्यु निर्वसीयत ले पहिली हो गो रहिस।

**8. मृतक उधारकरता(मन) के संपत्ति के मूल कागज-पतरी ल कानूनी उत्तराधिकारीमन/लाभार्थिमन ल जारी करे के प्रक्रिया**

S.No.	कागज-पतरी
1.	मृत्यु प्रमाण पत्र के प्रति ल - मृत्यु के मूल प्रमाण पत्र के संग सत्यापित करे जाहि।
2.	कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र अउ कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के प्रतिलिपि - मूल कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र अउ कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के संग सत्यापित करे जाहि।
3.	प्रोबेट के प्रति ('वसीयत' के जरिया हस्तांतरित संपत्ति) - मूल प्रोबेट के संग सत्यापित करे जाहि।
4.	मृतक संपत्ति मालिक के सबो कानूनी उत्तराधिकारीमन ले जाए वाले नोटरीकृत कानूनी उत्तराधिकारी सपथ पत्र/लाभार्थी सपथ पत्र
5.	सबो कानूनी उत्तराधिकारी/लाभार्थीमन के पहचान पत्र अउ पता के प्रमाण के प्रतिलिपि- मूल प्रति के संग सत्यापित करे जाहि
6.	मूल संपत्ति के कागजात जमा करे बर कानूनी उत्तराधिकारमन/लाभार्थीमन म ले कोनो एक के पक्छ म दूसर कानूनी उत्तराधिकारीमन दुआरा निस्पादित प्राधिकरण पत्र/ POA।
7.	पावती ल मृतक संपत्ति मालिक के कानूनी उत्तराधिकारी/लाभार्थी(मन) ल सौंपे गे कागज-पतरी के सूची म लिए जाना चाहि, जेन मूल संपत्ति के कागजात के संग्रह के पुस्टि करत हो।

**9. प्रक्रिया के समीक्षा**

ए प्रक्रिया की समीक्षा विनियामक दिसा-निर्देश/आंतरिक आवश्यकता के अनुरूप या फेर आवश्यकतानुसार करे जाहि।